उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

आदेश

क्रमांक A/4670 लेखा/2022 जबलपुर, 08 दिसम्बर, 2022

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के निर्देशानुसार, रजिस्ट्री के समस्त ऐसे अनुभागों/सेल के प्रभारियों, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान हेतु व्यक्तिगत वेंडर/हितग्राहियों के देयक/क्लेम लेखा शाखा में प्रेषित किये जाते हैं, को आदेशित किया जाता है कि शासन के नियमानुसार प्रत्येक वेंडर कोड में संबंधित की बैंक डिटेल्स के साथ ही उनके आधार नम्बर की प्रविष्टि भी की जाना अनिवार्य है। साथ ही, पूर्व में बने हुए वेंडर कोड में भी संबंधित हितग्राही के आधार नम्बर की प्रविष्टि की जाना है। अतएव निर्देशानुसार लेखा शाखा में भुगतान हेतु देयक प्रेषित करने के पूर्व देयक में संबंधित हितग्राही के आधार नम्बर की प्रतिलिपि संलग्न करना सुनिश्चित करें, ताकि भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब अथवा भुगतान असफल न हो।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

8/12/22

(विकास चंद्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)